

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय,
परिवहन मार्ग, चौमूं हाउस सर्किल, जयपुर
वित्त (नियम) विभाग (0141-2374671)

क्रमांक : एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/09/2024/4852


दिनांक : 21-11-2024

कार्यालय आदेश

निगम संचालक मण्डल के निर्णय संख्या 44/2024 दिनांक 24.10.2024 की अनुपालना में वित्तीय शक्तियों के प्रदत्तीकरण हेतु जारी आदेश क्रमांक एफ-4(13)/मु./वित्त/नियम/09/2023/4021 दिनांक 11.08.2023 को प्रत्याहरित (withdraw) किया जाता है। इसके साथ ही निगम में भविष्य में 25 करोड़ रुपये या अधिक राशि के उपापन के लिए निगम अध्यक्ष तथा 25 करोड़ रुपये से कम राशि के उपापन के लिए प्रबन्ध निदेशक सक्षम अधिकारी होंगे।

निगम अधिकारियों को प्रदत्त अन्य वित्तीय शक्तियां पूर्व में जारी विभिन्न आदेशों के अनुसार यथावत् रहेंगी।

प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का क्रियान्वयन निगम संचालक मण्डल के निर्णय दिनांक 24.10.2024 से लागू होगा।



(पुरुषोत्तम शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक :-एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/09/2024/4852

दिनांक:-21/11/24

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक() रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
7. जोनल मैनेजर, रा.रा.प.प.नि.....जोन।
8. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0.....।
9. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम,।
10. रक्षित पत्रावली।


(डॉ मनीष शुक्ला)
वित्तीय सलाहकार